

कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं०-सेवा-2/अराज./ 468 /2019-20 दिनांक 22 जुलाई, 2019

“विज्ञापित/नियुक्ति”

सचिव, लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड हरिद्वार के पत्र संख्या 670/60/01/डी0आर0(मा0शि0) सेवा-1/2016-17 दिनांक 11-6-2019 के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को शासनादेश सं० 367/XXIV-नवसृजित/2019-17(01)/2011 दिनांक 25 जून, 2019 के क्रम में विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा, वेतनक्रम रू० 47600-151100 लेवल-08 में प्रवक्ता अंग्रेजी (महिला शाखा) के पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-07 में अंकित विद्यालय में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2008 के प्रस्तर-19 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्त अभ्यर्थी न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे। प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

| क्र० सं० | अभ्यर्थी का नाम | पिता/पति का नाम व पता | श्रेणी / उप श्रेणी | जन्मतिथि | शैक्षिक योग्यता | पदस्थापित विद्यालय का नाम | अभ्युक्ति |
|----------|------------------|---|--------------------|----------|-----------------------------|--|-------------------------|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 1 | मृणाल नेगी | श्री साकेत बिष्ट फ्लैट न०-9 नैनी होटल, अपर माल रोड, दमाल जनपद नैनीताल | GEN/UF | 27-2-86 | एम0ए0 अंग्रेजी बी0एड0 | रा0बा0इ0का0 दन्या, अल्मोड़ा | रिक्त पद के प्रति |
| 2 | नीलम कुमारी | श्री रमेश चन्द्र जोशी ग्राम धनखल गांव पो0 छानागोलू रानीखेत अल्मोड़ा | GEN/UF | 17-7-93 | एम0ए0 अंग्रेजी बी0एड0 | रा0बा0इ0का0 स्याल्दे, अल्मोड़ा | रिक्त पद के प्रति |
| 3 | प्रियंका भण्डारी | श्री प्रमोद सिंह भण्डारी शक्ति विहार कालोनी गुजरौवाली चौक नथुवावाला देहरादून | OBC/GEN/ UF | 26-9-93 | एम0ए0 अंग्रेजी बी0एड0 | रा0बा0इ0का0 पारकोट अल्मोड़ा | रिक्त पद के प्रति |
| 4 | पल्लवी | श्री दलीप सिंह भण्डारी ग्राम व पो0 कुल्याणी थलीसैण पौड़ी | OBC/GEN/ UF | 1-7-95 | एम0ए0 अंग्रेजी बी0एड0 | रा0बा0इ0का0 पोखरी पौड़ी | रिक्त पद के प्रति |
| 5 | बिनीता दियोपा | श्री विजेन्द्र मेहरा मेहरा भवन नियर निखलेश्वर चिल्ड्रन्स एकेडमी लिंक रोड पिथौरागढ़ | GEN | 1-3-92 | एम0ए0 अंग्रेजी बी0एड0 | रा0बा0इ0का0 थल, पिथौरागढ़ | रिक्त पद के प्रति |
| 6 | सुरभि गुप्ता | स्व० श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता, पी0-105 फेस-3 शिवालिक नगर हरिद्वार | GEN | 5-6-82 | एम0ए0 अंग्रेजी बी0एड0 | रा0बा0इ0का0 रुद्रप्रयाग, जनपद रुद्रप्रयाग | रिक्त पद के प्रति |
| 7 | दीप्ति त्रिपाठी | श्री आनन्द बल्लभ त्रिपाठी अमरावती कॉलोनी 8मल्ली बमोरी लभालसिंह वाली गल्ली हल्द्वानी नैनीताल | GEN/UF | 1-7-85 | एम0ए0 अंग्रेजी बी0एड0 | रा0बा0इ0का0 जलना, अल्मोड़ा | रिक्त पद के प्रति |

1-

(Handwritten signature)


| क0 सं0 | अभ्यर्थी का नाम | पिता/पति का नाम व पता | श्रेणी / उप श्रेणी | जन्मतिथि | शैक्षिक योग्यता | पदस्थापित विद्यालय का नाम | अभ्युक्ति |
|--------|----------------------|---|--------------------|----------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 8 | मनीषा | श्री मादीराम बिजलवाण म0न0-288 आंचल डेरी के समीप उफल्डा श्रीनगर पौड़ी | GEN | 8-6-94 | एम0ए0 अंग्रेजी बी0एड0 | रा0बा0इ0का0 घाट, चमोली | रिक्त पद के प्रति |
| 9 | सुनीती जोशी | श्री जुगल किशोर जोशी ए-9 मां सरस्वती विहार आर0के0 टेन्ट हाउस रोड कुसुमखेडा हल्द्वानी नैनीताल। | GEN/UF | 1-6-95 | एम0ए0 अंग्रेजी बी0एड0 | रा0बा0इ0का0 उम्भ्याड़ी, अल्मोड़ा | रिक्त पद के प्रति |
| 10 | सुपिन्दर कौर | श्री रविन्द्र प्रकाश आर्य प्रकाश जनरल स्टोर रामगढ़ रोड, कहल क्वीरा भवाली नैनीताल। | GEN/UF | 13-6-83 | एम0ए0 अंग्रेजी बी0एड0 | रा0बा0इ0का0 काकड़, चम्पावत | रिक्त पद के प्रति |
| 11 | कु0 शीतल सैनी | श्री रमेश चन्द्र सैनी मो0 नई मण्डी कस्बा झबरेड़ा हरिद्वार | OBC/UF | 3-6-83 | एम0ए0 अंग्रेजी बी0एड0 | रा0बा0इ0का0 लोहाघाट, चम्पावत | रिक्त पद के प्रति |
| 12 | कविता नकोटी | श्री लोकेन्द्र सिंह नकोटी ग्राम-सेमवाल गांव, पट्टी सकलाना, पो0 गढ़गांव टिहरी | OBC/UF | 1-1-93 | एम0ए0 अंग्रेजी बी0एड0 | रा0बा0इ0का0 गैरसैण चमोली | रिक्त पद के प्रति |
| 13 | मनीषा जोशी | श्री श्याम दत्त जोशी ग्राम-मेहरावाणा पो0 चकराता जनपद देहरादून | ST/UF | 28-8-92 | एम0ए0 अंग्रेजी बी0एड0 | रा0बा0इ0का0 कोटिकनासर, देहरादून | रिक्त पद के प्रति |
| 14 | भारती बिष्ट | श्री विक्रम सिंह बिष्ट ग्राम सिर्दाग (कुरीला) पट्टा सिरखा धारचूला पिथौरागढ़ | OBC/UF | 2-5-81 | एम0ए0 अंग्रेजी बी0एड0 | रा0बा0इ0का0 गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ | रिक्त पद के प्रति |
| 15 | सिंह संगीता देवी राम | श्री देवजन वार्ड नं0-2 चुपल्या चिन्यालीसौंड उत्तरकाशी। | SC/UF | 18-6-79 | एम0ए0 अंग्रेजी बी0एड0 | रा0बा0इ0का0 पुरोला, उत्तरकाशी | रिक्त पद के प्रति |
| 16 | ममता जुयाल | श्री शान्ति प्रसाद जुयाल म0न0-एस0-18 ओपन मार्केट बौराड़ी नई टिहरी | OBC/UF | 4-5-85 | एम0ए0 अंग्रेजी बी0एड0 | रा0बा0इ0का0 बड़कोट, उत्तरकाशी | रिक्त पद के प्रति |
| 17 | कविता गौतम | श्री मेवालाल गौतम बट्टीविहार-1 पीरू मदाराम रामनगर नैनीताल | SC/UF | 10-8-89 | एम0ए0 अंग्रेजी बी0एड0 | रा0बा0इ0का0 जयन्ती अल्मोड़ा | रिक्त पद के प्रति |

Deu

| क0 सं0 | अभ्यर्थी का नाम | पिता/पति का नाम व पता | श्रेणी / उप श्रेणी | जन्मतिथि | शैक्षिक योग्यता | पदस्थापित विद्यालय का नाम | अभ्युक्ति |
|--------|-----------------|---|--------------------|----------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 18 | सोनिया | श्री दीपक कुमार लोहरे 113-अम्बेडकर कॉलोनी-1 डी0एल0 रोड देहरादून | SC/UF | 14-7-88 | एम0ए0 अंग्रेजी बी0एड0 | रा0बा0इ0का0 चमदेवल चम्पावत | रिक्त पद के प्रति |
| 19 | किरन सिन्तडियाल | श्री धनीराम सिन्तडियाल ग्राम-कुनल्ता (सिन्तडी) पो0 कुनल्ता पिथौरागढ़। | SC/UF/Ph(B) | 29-4-93 | एम0ए0 अंग्रेजी बी0एड0 | रा0बा0इ0का0 गणाई गंगोली पिथौरागढ़ | रिक्त पद के प्रति |

2. नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर नियुक्त अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख उपर्युक्त स्तम्भ-07 पर अंकित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित समयवाधि में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

3. नियुक्ति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-8 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।


 (रामकृष्ण जैनियाल)
 अपर निदेशक,
 माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड


पृ0 सं0 सेवा-2/अराज0/10641-56/2019-20 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- (2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- (3) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
- (4) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
- (5) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- (6) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- (7) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
- (8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की संकलित सूचना कार्यभार ग्रहण की तिथि सहित मण्डलीय अपर निदेशक के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (9) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि प्रधानाचार्य के माध्यम से नियुक्त अभ्यर्थियों के शैक्षिक/प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्रों की भली भांति मिलान एवं जांच करवाते हुए कार्यभार ग्रहण की सूचना निदेशालय एवं संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें, साथ ही संबंधित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उनकी अंकना ई-पोर्टल पर करना सुनिश्चित करें।
- (10) संबंधित प्रधानाचार्य को इस निर्देश के साथ कि वे संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण/जाति/अन्य प्रमाण पत्रों की उनके मूल अभिलेखों से भली-भांति जांच करने के पश्चात् उन्हें कार्यभार ग्रहण करायें तथा प्रमाण पत्रों की एक प्रति संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें। प्रमाण पत्रों में भिन्नता होने पर इसकी सूचना तत्काल निदेशालय को उपलब्ध करायें।
- (11) संबंधित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिन के भीतर अपनी तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित द्वारा कार्यभार ग्रहण

नहीं किया जाता है, तो उनकी नियुक्ति को निरस्त करते हुए आयोग को सूचित कर दिया जायेगा। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा संस्थाध्यक्ष के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण/जाति/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, जहां शिक्षा प्राप्त की हो, की दो प्रति प्रस्तुत करने होंगे। इसके साथ ही संबंधित अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण एवं अन्य अभिलेख/तथ्य असत्य/भिन्न पाये जाते हैं, तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी तथा इस संबंध में विभाग द्वारा जो भी कार्यवाही की जायेगी, वह मुझे स्वीकार होगा।

- (12) विवाहित अभ्यर्थी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी एक ही जीवित पत्नी/पति हैं।
- (13) संबंधित अभ्यर्थी को संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा प्रमाण पत्र कि "मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है" प्रस्तुत करने होंगे।
- (14) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (15) कार्यालय आदेश पुस्तिका।


(हरराम यादव) 22/5/19
उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं०-सेवा-2/अराज./ 469 /2019-20 दिनांक 22 जुलाई, 2019


"विज्ञापित/नियुक्ति"

सचिव, लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड हरिद्वार के पत्र संख्या 670/60/01/डी0आर0(मा0शि0) सेवा-1/2016-17 दिनांक 11-6-2019 के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को शासनादेश सं० 367/XXIV-नवसृजित/2019-17(01)/2011 दिनांक 25 जून, 2019 के क्रम में विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा, वेतनक्रम रू० 47600-151100 लेवल-08 में प्रवक्ता भूगोल (महिला शाखा) के पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-07 में अंकित विद्यालय में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2008 के प्रस्तर-19 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्त अभ्यर्थी न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे। प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

| क्र० सं० | अभ्यर्थी का नाम | पिता/पति का नाम व पता | श्रेणी / उप श्रेणी | जन्मतिथि | शैक्षिक योग्यता | पदस्थापित विद्यालय का नाम | अभ्युक्ति |
|----------|-----------------|--|--------------------|----------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 1 | पूजा चौहान | श्री बीरेन्द्र सिंह चौहान ग्राम व पो० नगाण गांव तहसली बड़कोट जिला उत्तरकाशी | OBC/GEN/UF | 20-6-93 | एम०ए० भूगोल बी०एड | रा०बा०इ०का० एकेश्वर, पौड़ी | रिक्त पद के प्रति |
| 2 | दीपिका | श्री कीर्तिसिंह कलूड़ा गढ़ी रोड श्यामपुर भट्टा कालोनी ऋषिकेश पो० सत्यनारायण मंदिर देहरादून | GEN/UF | 1-7-92 | एम०ए० भूगोल बी०एड | रा०बा०इ०का० भरसोली अल्मोड़ा | रिक्त पद के प्रति |
| 3 | सीमा | रमेश राम ग्राम रूईसाण पो० डुंग्री थराली चमोली | SC/GEN/UF | 10-12-92 | एम०ए० भूगोल बी०एड | रा०बा०इ०का० गैरसैण चमोली | रिक्त पद के प्रति |
| 4 | कु० बबीता | राजीलाल ग्राम दरम्वाड़ी पो० जाखधार जनपद रूद्रप्रयाग | SC/UF | 25-6-92 | एम०ए० भूगोल बी०एड | रा०बा०इ०का० घाट, चमोली | रिक्त पद के प्रति |
| 5 | अंजना | रमेश चौहान निकट विकाखण्ड कार्यालय मोरी उत्तरकाशी | OBC/UF | 2-2-82 | एम०ए० भूगोल बी०एड | रा०बा०इ०का० पोखरी पौड़ी | रिक्त पद के प्रति |

2. नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर नियुक्त अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख उपर्युक्त स्तम्भ-07 पर अंकित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

3. नियुक्ति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-8 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।


(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ० सं० सेवा-2/अराज०/ 10657-72 /2019-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- (2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- (3) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
- (4) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
- (5) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- (6) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- (7) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
- (8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की संकलित सूचना कार्यभार ग्रहण की तिथि सहित मण्डलीय अपर निदेशक के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (9) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि प्रधानाचार्य के माध्यम से नियुक्त अभ्यर्थियों के शैक्षिक/प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्रों की भली भांति मिलान एवं जांच करवाते हुए कार्यभार ग्रहण की सूचना निदेशालय एवं संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें, साथ ही संबंधित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उनकी अंकना ई-पोर्टल पर करना सुनिश्चित करें।
- (10) संबंधित प्रधानाचार्य को इस निर्देश के साथ कि वे संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण/जाति/अन्य प्रमाण पत्रों की उनके मूल अभिलेखों से भली-भांति जांच करने के पश्चात् उन्हें कार्यभार ग्रहण करायें तथा प्रमाण पत्रों की एक प्रति संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें। प्रमाण पत्रों में भिन्नता होने पर इसकी सूचना तत्काल निदेशालय को उपलब्ध करायें।
- (11) संबंधित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिन के भीतर अपनी तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनकी नियुक्ति को निरस्त करते हुए आयोग को सूचित कर दिया जायेगा। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा संस्थाध्यक्ष के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण/जाति/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, जहां शिक्षा प्राप्त की हो, की दो प्रति प्रस्तुत करने होंगे। इसके साथ ही संबंधित अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण एवं अन्य अभिलेख/तथ्य असत्य/भिन्न पाये जाते हैं, तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी तथा इस संबंध में विभाग द्वारा जो भी कार्यवाही की जायेगी, वह मुझे स्वीकार होगा।
- (12) विवाहित अभ्यर्थी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी एक ही जीवित पत्नी/पति हैं।
- (13) संबंधित अभ्यर्थी को संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा प्रमाण पत्र कि "मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है" प्रस्तुत करने होंगे।
- (14) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (15) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

(हरेशम यादव) 22/7/19
उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं०-सेवा-2/अराज./470 /2019-20 दिनांक 22 जुलाई, 2019

“विज्ञप्ति/नियुक्ति”

सचिव, लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड हरिद्वार के पत्र संख्या 670/60/01/डी0आर0(मा0शि0) सेवा-1/2016-17 दिनांक 11-6-2019 के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को शासनादेश सं० 367/XXIV-नवसृजित/2019-17(01)/2011 दिनांक 25 जून, 2019 के क्रम में विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा, वेतनक्रम रू० 47600-151100 लेवल-08 में प्रवक्ता जीव विज्ञान (महिला शाखा) के पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-07 में अंकित विद्यालय में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2008 के प्रस्तर-19 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्त अभ्यर्थी न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे। प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

| क० सं० | अभ्यर्थी का नाम | पिता/पति का नाम व पता | श्रेणी / उप श्रेणी | जन्मतिथि | शैक्षिक योग्यता | तैनाती विद्यालय का नाम | अभ्युक्ति का नाम |
|--------|-----------------|--|--------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 1 | रेखा पंत | श्री भूपेश पंत द्वारा-श्री एल०पी० पंत अनुपम विहार निकट ब्लॉक आफिस लोहरियासाल मल्ला पो० कटघरिया हल्द्वानी नैनीताल | GEN/UF | 21-9-85 | एम०एस०सी० वनस्पति विज्ञान बी०ए० | रा०बा०इ०का० लोहाघाट चम्पावत | रिक्त पद के प्रति |
| 2 | मेघा रावत | श्री नरेन्द्र सिंह रावत रतनपुर सुखरौं देवी रोड़ कोटद्वार पौड़ी | GEN/UF | 30-8-90 | एम०एस०सी० वनस्पति विज्ञान बी०ए० | रा०बा०इ०का० लैंसडाउन पौड़ी | रिक्त पद के प्रति |
| 3 | बीनू पंत | श्री जितेन्द्र कुमार पंत ग्राम बना पो० त्रिपुरादेवी बेरीनाग पिथौरागढ़ | GEN/UF | 26-10-91 | एम०एस०सी० वनस्पति विज्ञान बी०ए० | रा०बा०इ०का० बेरीनाग पिथौरागढ़ | रिक्त पद के प्रति |
| 4 | सुनीता कैंडा | श्री ध्यानसिंह कैंडा जयपुर पड़ली-1 नियुर चारधाम मंदिर पो० लामाचौड़ हल्द्वानी नैनीताल | GEN/UF | 5-8-89 | एम०एस०सी० वनस्पति विज्ञान बी०ए० | रा०बा०इ०का० ऐंटाण बागेश्वर | रिक्त पद के प्रति |
| 5 | नन्दिता | श्री इन्द्रसिंह वर्त्वाल बसन्तकुंज ग्राम मियांवाला पो० हर्रावाला देहरादून | GEN/UF | 5-4-80 | एम०एस०सी० जन्तु विज्ञान बी०ए० | रा०बा०इ०का० लम्बगांव टिहरी | रिक्त पद के प्रति |
| 6 | दीप्ति वर्मा | श्री राकेश कुमार विला नं० एफ-50 मैट्रोपोलिस मॉल के पीछे मैट्रोपालिस सीटी नैनीताल रोड़, रुद्रपुर उ०सि०नगर | GEN/UF | 19-4-82 | एम०एस०सी० वनस्पति विज्ञान बी०ए० | रा०बा०इ०का० स्याल्दे अल्मोड़ा | रिक्त पद के प्रति |

| क0 सं0 | अभ्यर्थी का नाम | पिता/पति का नाम व पता | श्रेणी / उप श्रेणी | जन्मतिथि | शैक्षिक योग्यता | तैनाती विद्यालय का नाम | अभ्युक्ति |
|--------|-----------------|---|--------------------|----------|---|--|-------------------------|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 7 | कविता जोशी | श्री कपिल पाण्डे एल0आई0जी0-538 आवास विकास होली चौक रुद्रपुर उ0सि0नगर | GEN | 12-10-85 | एम0एस0सी0 वनस्पति विज्ञान बी0एड0 | रा0बा0इ0का0 चमदेवल चम्पावत | रिक्त पद के प्रति |
| 8 | मीनाक्षी | श्री शिवराज लाल ग्राम सिल्ला बामणगांव पो0 पठालीधार अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग | SC/UF | 1-6-92 | एम0एस0सी0 वनस्पति विज्ञान बी0एड0 | रा0बा0इ0का0 रुद्रप्रयाग, जनपद रुद्रप्रयाग | रिक्त पद के प्रति |
| 9 | शैलजा वर्मा | डॉ0 राकेश वर्मा ग्राम-खोलासुनार पो0 बाराकोट चम्पावत | OBC/UF | 13-7-89 | एम0एस0सी0 वनस्पति विज्ञान बी0एड0 | रा0बा0इ0का0 धारचूला पिथौरागढ़ | रिक्त पद के प्रति |

2. नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर नियुक्त अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख उपर्युक्त स्तम्भ-07 पर अंकित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

3. नियुक्ति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-8 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(रामकृष्ण उनियाल)

अपर निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पू0 सं0 सेवा-2/अराज0/10673-88/2019-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- (2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- (3) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
- (4) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
- (5) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- (6) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- (7) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
- (8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की संकलित सूचना कार्यभार ग्रहण की तिथि सहित मण्डलीय अपर निदेशक के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (9) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि प्रधानाचार्य के माध्यम से नियुक्त अभ्यर्थियों के शैक्षिक/प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्रों की भली भांति मिलान एवं जांच करवाते हुए कार्यभार ग्रहण की सूचना निदेशालय एवं संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें, साथ ही संबंधित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उनकी अंकना ई-पोर्टल पर करना सुनिश्चित करें।

- (10) संबंधित प्रधानाचार्य को इस निर्देश के साथ कि वे संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण/जाति/अन्य प्रमाण पत्रों की उनके मूल अभिलेखों से भली-भांति जांच करने के पश्चात् उन्हें कार्यभार ग्रहण करायें तथा प्रमाण पत्रों की एक प्रति संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें। प्रमाण पत्रों में भिन्नता होने पर इसकी सूचना तत्काल निदेशालय को उपलब्ध करायें।
- (11) संबंधित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिन के भीतर अपनी तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनकी नियुक्ति को निरस्त करते हुए आयोग को सूचित कर दिया जायेगा। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा संस्थाध्यक्ष के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण/जाति/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, जहां शिक्षा प्राप्त की हो, की दो प्रति प्रस्तुत करने होंगे। इसके साथ ही संबंधित अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण एवं अन्य अभिलेख/तथ्य असत्य/भिन्न पाये जाते हैं, तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी तथा इस संबंध में विभाग द्वारा जो भी कार्यवाही की जायेगी, वह मुझे स्वीकार होगा।
- (12) विवाहित अभ्यर्थी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी एक ही जीवित पत्नी/पति हैं।
- (13) संबंधित अभ्यर्थी को संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा प्रमाण पत्र कि "मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है" प्रस्तुत करने होंगे।
- (14) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (15) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

(हरेशमि यादव) 22/7/19
उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं०-सेवा-2/अराज./ 471 /2019-20 दिनांक 22 जुलाई, 2019

“विज्ञप्ति/नियुक्ति”

सचिव, लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड हरिद्वार के पत्र संख्या 670/60/01/डी०आर०(मा०शि०) सेवा-1/2016-17 दिनांक 11-6-2019 के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को शासनादेश सं० 367/XXIV-नवसृजित/2019-17(01)/2011 दिनांक 25 जून, 2019 के क्रम में विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा, वेतनक्रम रू० 47600-151100 लेवल-08 में प्रवक्ता संस्कृत (महिला शाखा) के पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-07 में अंकित विद्यालय में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2008 के प्रस्तर-19 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्त अभ्यर्थी न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे। प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

| क्र० सं० | अभ्यर्थी का नाम | पिता/पति का नाम व पता | श्रेणी / उप श्रेणी | जन्मतिथि | शैक्षिक योग्यता | पदस्थापित विद्यालय का नाम | अभ्युक्ति |
|----------|-----------------|---|--------------------|----------|---------------------------|--|-------------------------|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 1 | दीपा शकटा | श्री कीर्तिबल्लभ शकटा निकट एस०डी०एम० कोट लोहाघाट चम्पावत | GEN | 18-6-87 | एम०ए० संस्कृत बी०ए० | रा०बा०इ०का० काकड़ चम्पावत | रिक्त पद के प्रति |
| 2 | दीपा पाठक | श्री दीपक पाठक म०न०-20 ग्राम सैंज पो० डोबा हवालबाग जनपद अल्मोड़ा | GEN | 26-6-89 | एम०ए० संस्कृत बी०ए० | रा०बा०इ०का० जलना अल्मोड़ा | रिक्त पद के प्रति |
| 3 | इदा आर्या | श्री ऋषिपाल सिंह ग्राम-इब्राहिमपुर मसाही भगवानपुर जनपद हरिद्वार | OBC/GE N/UF | 2-7-91 | एम०ए० संस्कृत बी०ए० | रा०बा०इ०का० थराली चमोली | रिक्त पद के प्रति |
| 4 | चेतना भण्डारी | श्री विक्रम सिंह भण्डारी ग्राम सूरी पो० रज्यूड़ा जनपद अल्मोड़ा | GEN | 1-6-86 | एम०ए० संस्कृत बी०ए० | रा०बा०इ०का० दन्या अल्मोड़ा | रिक्त पद के प्रति |
| 5 | पुष्पा आर्या | श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ग्राम-शकरखोला पो० खुमाड़ जनपद अल्मोड़ा | GEN/UF | 18-8-84 | एम०ए० संस्कृत बी०ए० | रा०बा०इ०का० भरसोली, अल्मोड़ा | रिक्त पद के प्रति |
| 6 | मधुमिता कपकोटी | श्री मनोज सिंह ग्राम व पो० चिडंग जनपद बागेश्वर | GEN/UF | 15-10-90 | एम०ए० संस्कृत बी०ए० | रा०बा०इ०का० ऐंठाण बागेश्वर | रिक्त पद के प्रति |
| 7 | नीतू सिंह | श्री शिववक्स सिंह टाईप-2 क्वार्टर नं०-9 ऑडिट कॉलोनी, इन्द्रा नगर सीमाद्वार देहरादून | GEN/UF | 11-6-86 | एम०ए० संस्कृत बी०ए० | रा०बा०इ०का० रुद्रप्रयाग, जनपद रुद्रप्रयाग | रिक्त पद के प्रति |
| 8 | दीप्ति रावत | श्री प्रवीन चन्द्र उनियाल ग्राम सजवाण काण्डा पट्टी भरपूर देवप्रयाग जनपद टिहरी | GEN | 13-9-88 | एम०ए० संस्कृत बी०ए० | रा०बा०इ०का० वेतालघाट नैनीताल | रिक्त पद के प्रति |

-1-

(Signature)

| क0 सं0 | अभ्यर्थी का नाम | पिता/पति का नाम व पता | श्रेणी / उप श्रेणी | जन्मतिथि | शैक्षिक योग्यता | पदस्थापित विद्यालय का नाम | अभ्युक्ति |
|--------|-----------------|--|--------------------|----------|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 9 | कु0 पारूल | श्री दिनेश कुमार ग्राम व पो0 लिब्ररहेड़ी रुड़की जनपद हरिद्वार। | OBC/UF | 19-10-89 | एम0ए0 संस्कृत बी0एड0 | रा0बा0इ0का0 काण्डा, बागेश्वर | रिक्त पद के प्रति |
| 10 | कु0 प्रियंका | श्री दिनेश सिंह ग्राम नैनगांव पो0 मरोड़ नैनबाग टिहरी गढ़वाल। | OBC/UF | 15-7-93 | एम0ए0 संस्कृत बी0एड0 | रा0बा0इ0का0 बाड़ेछीना अल्मोड़ा | रिक्त पद के प्रति |
| 11 | कुसुम लता | श्री रूद्रीराम ग्राम सुन्दरखाली/ महतोली पो0 नरतोला जनपद नैनीताल। | SC/UF | 1-3-93 | एम0ए0 संस्कृत बी0एड0 | रा0बा0इ0का0 पाये, बागेश्वर | रिक्त पद के प्रति |
| 12 | नीमा आर्या | श्री मनोहर लाल ग्राम-ओड़ाखान/ दाड़िमा पो0 नथुवाखान जनपद नैनीताल। | SC/UF | 2-2-93 | एम0ए0 संस्कृत बी0एड0 | रा0बा0इ0का0 नमजला पिथौरागढ़ | रिक्त पद के प्रति |

2. नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर नियुक्त अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख उपर्युक्त स्तम्भ-07 पर अंकित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

3. नियुक्ति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-8 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(रामकृष्ण उनियाल)

अपर निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पू0 सं0 सेवा-2/अराज0/ 10689-704/2019-20 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- (2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- (3) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
- (4) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
- (5) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- (6) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- (7) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
- (8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की संकलित सूचना कार्यभार ग्रहण की तिथि सहित मण्डलीय अपर निदेशक के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (9) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि प्रधानाचार्य के माध्यम से नियुक्त अभ्यर्थियों के शैक्षिक/प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्रों की भली भांति मिलान एवं जांच करवाते हुए कार्यभार ग्रहण की सूचना निदेशालय एवं संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराये, साथ ही संबंधित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उनकी अंकना ई-पोर्टल पर करना सुनिश्चित करें।

- (10) संबंधित प्रधानाचार्य को इस निर्देश के साथ कि वे संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण/जाति/अन्य प्रमाण पत्रों की उनके मूल अभिलेखों से भली-भांति जांच करने के पश्चात् उन्हें कार्यभार ग्रहण करायें तथा प्रमाण पत्रों की एक प्रति संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें। प्रमाण पत्रों में भिन्नता होने पर इसकी सूचना तत्काल निदेशालय को उपलब्ध करायें।
- (11) संबंधित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिन के भीतर अपनी तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनकी नियुक्ति को निरस्त करते हुए आयोग को सूचित कर दिया जायेगा। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा संस्थाध्यक्ष के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण/जाति/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, जहां शिक्षा प्राप्त की हो, की दो प्रति प्रस्तुत करने होंगे। इसके साथ ही संबंधित अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण एवं अन्य अभिलेख/तथ्य असत्य/भिन्न पाये जाते हैं, तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी तथा इस संबंध में विभाग द्वारा जो भी कार्यवाही की जायेगी, वह मुझे स्वीकार होगा।
- (12) विवाहित अभ्यर्थी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी एक ही जीवित पत्नी/पति हैं।
- (13) संबंधित अभ्यर्थी को संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा प्रमाण पत्र कि "मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है" प्रस्तुत करने होंगे।
- (14) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (15) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

(हरराम यादव) 22/7/19
उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड